ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गुलशन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सुशिल कुमार	01.04.2022 से 07.05.2022
2	श्री प्रताप चंद	08.05.2022 से 27.05.2022

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अमित कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023
2.	श्री राजेश कुमार	01.04.2023 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री मति ललिता कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	4 (4)	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	02.00
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	42.86
3	7.1	पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.07
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.04
5	8.1	खनन सामग्री से रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित न करना	1.17
6	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे	0.06
7	9.2	मनरेगा शीर्ष से अधिक व गलत भुगतान करना	0.01
8	9.3	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.63
9	9.4	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज न करना	3.78
10	9.5	क्रय की गई सामग्री का माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	3.51
11	9.6	उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान करने बारे।	0.23

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जो अंकेक्षण के प्रति पंचायत की उदासीनता को दर्शाता है। फलस्वरूप लम्बित पैरों की स्थिति निम्न विवरणानुसार है :-

(I) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति
1	4.2	अनिर्णीत।
2	5	अनिर्णीत।
3	6 (I) (II)	अनिर्णीत।
4	8	अनिर्णीत।
5	9	अनिर्णीत।
6	10	अनिर्णीत।
7	13	अनिर्णीत।
8	14	अनिर्णीत।

(II) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	
1	4	अनिर्णीत।	
2	6	अनिर्णीत।	
3	7	अनिर्णीत।	
4	8	अनिर्णीत।	
5	11	अनिर्णीत।	
6	13	अनिर्णीत।	
7	14	अनिर्णीत।	
8	15	अनिर्णीत।	
9	16	अनिर्णीत।	

10	17	अनिर्णीत।	
11	18	अनिर्णीत।	
12	19	अनिर्णीत।	
13	20	अनिर्णीत।	
14	21	अनिर्णीत।	
15	22	अनिर्णीत।	
16	23	अनिर्णीत।	
17	24	अनिर्णीत।	
18	25	अनिर्णीत।	
19	26	अनिर्णीत।	
20	27	अनिर्णीत।	
21	28	अनिर्णीत।	
22	30	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
23	31	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.06.2024 से 28.06.2024 तक ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160/2024 दिनांक 26/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, कोट, हमीरपुर, DDO NO – UFD 033969 दिनांक 28.06.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान आठ (8) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित) (Offline), अनुदान (प्लानिंग)(Offline), स्वच्छ भारत मिशन (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online), PMAGY (Offline), 14वें वित्तायोग (Offline), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	724778.19	203652.80	928430.99	211549.00	716881.99
2023-24	716881.99	194334.00	911215.99	109518.00	**801697.99**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3345200.53	5594993.00	8940193.53	5279944.80	3660248.73
2023-24	3660248.73	5214281.80	8874530.53	4588783.80	**4285746.73**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	4069978.72	5798645.80	9868624.52	5491493.80	4377130.72
2023-24	4377130.72	5408615.80	9785746.52	4698301.80	**5087444.72**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता नाम	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	PNB kot	2199000100296010	800878.99
2	अनुदान (प्लानिंग)	PNB kot	2199000100003990	1472905.73
3	स्वच्छ भारत मिशन	PNB kot	2199000100314390	0.00
4	प्रधान मंन्त्री आदर्श	PNB kot	2199000100323410	34791.00

	ग्राम योजना			
5	14वां वित्तायोग	PNB kot	2199000100289260	2074.00
6	15वां वित्तायोग	PNB kot	2199000100319220	2975976.00
		योग		**5286625.72**
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)				819.00
		योग (1+2)		**5287444.72**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	801697.99
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	4285746.73
3)	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	5087444.72
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार कुल अंतिम शेष	5286625.72
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	819.00
6)	योग (4+5)	5287444.72
7)	**अन्तर (3-6)**	**200000.00**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹2.00 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं

किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **राशि ₹200000**/- का अन्तर रोकड़ बही में कम के रूप में पाया गया |

1	**2**	**3**	**4**	**5**
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष**	**अन्तर (4-3) (₹)**
1	15 वें वितायोग	2775976	2975976	2,00,000.00
			कुल अंतर	**2,00,000.00**

उक्त तालिका में दर्शाये गये अन्तर से स्पष्ट है कि पंचायत के लेखें खाते सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाते हैं। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 156/2024 दिनांक 24/06/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 38 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर राशि की जांच करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 38 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस

विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनाँक 28.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 38 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹42.86 लाख का उपयोग न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹4285746.85** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनाँक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनाँक 28.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है|

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 38 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अवगत

करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 38 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं उन्हें उद्देश्य कार्य/विशेष पर ही व्यय किया गया था अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व :-

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.07 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 34 (2) के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा पंचायत को देय कोई भी राशि पर्याप्त कारणों के बिना परादेय /अदत्त (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 के क्रम संख्या 5, के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 38 दिनांक 28/06/2024 द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा

दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व/गृहकर वसूली हेतू राशि **₹6800/- निम्न विवरणानुसार** शेष था :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	15950	1257	50	62850	78800	64500	14300
2023-24	14300	1215	100	121500	135800	129000	**6800**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं आंकड़ों की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी।

अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह शुल्क तथा देरी के लिए दोगुनी दर से विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि **₹3850**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "ग"**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 157/2024 दिनांक 24.06.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि ₹1.17 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा|

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹117334.68** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159/2024 दिनांक 26/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की

अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: राशि **₹117334.68** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित प्राधिकारी से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.1 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (stone/boulders) के क्रय एवं ढुलाई में रिक्तियां (voids) 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण अवधि 01/04/22 से 31/03/24 हेतु चयनित माह 03/23 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹45590/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹5698.75/-** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था:-

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162/2024 दिनांक 27.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण उक्त अनियमितता हुई है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

क्रम संख्या	वाउचर/बिल संख्या	दिनांक	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (m3)	मूल्य दर (m3)	मूल्य (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	113	01-Mar	Amar building material, Tauni devi	stone	1.29	1000	1290	12.5	161.25
2	114	01-Feb	verma computer, Tauni devi, hamirpur	stone	13	1000	13000	12.5	1625.00
3	326	01-Dec	verma computer, Tauni devi, hamirpur	stone	30	1000	30000	12.5	3750.00
4	335	01-Mar	verma computer, Tauni devi, hamirpur	stone	1.3	1000	1300	12.5	162.50
Total							**45590**	**12.5**	**5698.75**

अत: पत्थरों की खरीद में voids की 12.5% की कटौती न करने के कारण किये गये राशि **₹5698.75** का अधिक भुगतान किया गया जिसका तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की वसूली उचित स्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

9.2 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए निम्न विवरणानुसार **₹1371/-** का अधिक भुगतान किया गया था:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि	लाभार्थी को अधिक भुगतान
1	C/o Cattle shed suresh kumar s/o swaroop kumar, vill-Thana	मस्ट्रोल संख्या - (2620, 2732) (21200 + 8480) =29680 x 2/3 =19786	Sand, Aggri.	20850	19786	1064.00
2	c/o RTWHT of land of Piar chand s/o Mahant Ram vill Kotalu	मस्ट्रोल संख्या (1702,1863,2023,2225) (6720+14160+9360+5148) =35388 x 2/3 =23592	Sand, Aggri.	23900	23592	308.00
योग						**1372.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 164/2024 दिनांक 26/06/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹1371/-** की वसूली हेतु रसीद संख्या 134958 दिनांक 04.07.24 को काट कर Deputy Director RDD, Shimla के खाता संख्या 41930001000031015 में जमा करवा दी है, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जानी अपेक्षित है।

अतः भविष्य में इस तरह के प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित करें।

9.3 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.63 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **सलंग्न (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹63724/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना अर्थात बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 161/2024 दिनांक 27.06.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 27/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण में

दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना आगामी समय में कर ली जाएगी | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है |

अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.4 राशि ₹3.78 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज न करना |

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् ,बजट,लेखे, संपरीक्षा,सकर्म,कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टोर सामान की प्राप्ति पर उसे यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित माह 03/23 व 06/2023 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "च") राशि ₹377844/-** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 163/2024 दिनांक 27/06/2024 द्वारा यह प्रकरण सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय किए गए सामान का स्टॉक इन्द्राज न करना एक गम्भीर अनियमितता है |

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें |

9.5 राशि ₹3.51 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 03/2023 व 06/2023 में (**सलंग्न परिशिष्ट "छ"**) अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत नियमों के विपरीत राशि **₹351527**/- का भुगतान किया गया था।

जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 165/2024 दिनांक 26/06/2024 द्वारा सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण अवधि तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा सक्षम अधिकारी को भी इससे अवगत करवाया जाए।

9.6 राशि ₹0.23 लाख के उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर भुगतान करने बारे |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 14 वें व 15 वें शीर्ष से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता को ढुलाई व् सीमेंट के रूप में **निम्न विवरणानुसार ₹23418/-** का भुगतान किया गया था। लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था,जोकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के प्रावधानानुसार अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 166/2024 दिनांक 27.06.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत दरोगण-पति-कोट के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 28/06/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ एवं नियमानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	14 FC	c/o link path machine se srayen bhawan	carriage	12000
2	15 FC	c/o marg krah to darogan	carriage	6000
3	15 FC	c/o pond near saint sai school dhanwana	cement	5418
Total				**23418**

9.7 बजट प्राकलन नियमानुसार तैयार न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व् व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया है, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

9.8 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/ जारी खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे।

ग्राम पंचायत द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किसी भी स्तर पर रसीदों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः वांछित समुचित रसीद स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151/2024 दिनांक 21.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित है। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 39 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। समुचित लेखांकन व्यवस्था के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
12	मस्टर रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150/2024 दिनांक 21.06.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 38 दिनांक 28/06/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जोकि नियमों की अवहेलना के दृष्टिगत आपत्तिजनक है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

17 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

4608-4612 ह0/प्रति0

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)6/2016 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत दरोगण पति कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

17 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

ह0/प्रति0

Annaxure 'क' पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत - दारोगण-पती-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	724778.19	203652.80	928430.99	211549.00	716881.99
2	2023-24	716881.99	194334.00	911215.99	109518.00	**801697.99**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3345200.53	5594993.00	8940193.53	5279944.80	3660248.73
2	2023-24	3660248.73	5214281.80	8874530.53	4588783.80	**4285746.73**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	4069978.72	5798645.80	9868624.52	5491493.80	4377130.72
2	2023-24	4377130.72	5408615.80	9785746.52	4698301.80	**5087444.72**

Sharma

ग्राम पंचायत- दारोगण-पती-कोट, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
अनुदान (प्लानिंग)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1106464.73	1072674	2179138.73	1196287	982851.73
2	2023-24	982851.73	1647038	2629889.73	1156984	**1472905.73**

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3799.80	249.00	4048.80	4048.80	0.00
2	2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	218110.00	218110.00	218110.00	0.00
2	2023-24	0.00	140297.00	140297.00	140297.00	**0.00**

PMAGY(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
2	2023-24	1.00	40790.00	40791.00	6000.00	**34791.00**

14वें वित्तायोग(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	213845.00	53981.00	267826.00	165191.00	102635.00
2	2023-24	102635.00	71673.00	174308.00	172234.00	**2074.00**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2021091.00	2284116.00	4305207.00	1730446.00	2574761.00
2	2023-24	2574761.00	1021991.00	3596752.00	820776.00	**2775976.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	1965862.00	1965862.00	1965862.00	0.00
2	2023-24	0.00	2292492.80	2292492.80	2292492.80	**0.00**

Sharma

Annaxure 'ख' पैरा संख्या ७.१ में संदर्भित

ग्राम पंचायत दरोगण-पती-कोट विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	15950	1257	50	78800	78800	64500	14300
2023-24	14300	1215	100	121500	135800	129000	**6800**

Annaxure ग **पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित**

ग्राम पंचायत दरोगण-पती-कोट, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	Sanjay Kumar	23/04/2022	27/04/2022	123808	200	200	0
2	Harish Kumar	19/04/2022	18/05/2022	12809	200	200	0
3	Savan Kumar	20/04/2022	17/06/2022	123810	400	400	0
4	Ashwani Kumar	24/04/2022	18/06/2022	123811	400	400	0
5	Ankit Chauhan	08/06/2022	24/06/2022	123812	200	200	0
6	Anil Kumar	21/06/2022	29/06/2022	123813	200	200	0
7	Tej Pal	22/06/2022	02/08/2022	123814	400	400	0
8	Abhishek	21/07/2022	04/08/2022	123815	200	200	0
9	Vinay Kumar	02/08/2022	17/08/2022	123816	200	200	0
10	Prakash Chand	08/03/1969	27/09/2022	123824	400	400	0
11	Sunil Kumar	26/09/2022	07/10/2022	123828	200	200	0
12	Maan Chand	17/06/1978	11/01/2024	123877	450	450	0
13	Pankaj Chauhan	06/02/2024	01/04/2024	123899	400	400	0
Total					**3850**	**3850**	**0**

Sharma

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दरोगण-पती-कोट, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
रॉयल्टी की वसूली न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

Ser No	Scheme	Voucher No	Name Of Work	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
	MNREGA	0	c/o protection wall near of house kartar chand	301 08/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	7.11	1.52	10.8072	80	864.576
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
	MNREGA	0	C/o RTWH tank Kehar Singh Vill. Kot	704 03/24	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o RTWH tank Surjeet Kumar Vill. Darogan	722 03/24	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o RTWH tank Ashok Kumar Vill. Kot	705 03/24	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o RTWH tank Piar Chand Vill. kotalu	720 03/2024	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o RTWH tank Satish Kumar Vill. karoh	718 3/2024	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o RTWH tank Ajit singh Vill. Thana	724 03/24	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o P/Wall near the house of Mehar Singh Vill. kunana	302 03/24	Kewal Ram Building material	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o P/Wall near the house of Purshotam Dass Vill. Vill. Karah	303 03/24	Kewal Ram Building material Suppliar	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o P/Wall near the house of Moti Lal Vill. Kot	304 03/24	Kewal Ram Building material Suppliar	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36

	MNREGA	0	C/o P/Wall near the house of Jaimal S/o Lalman Vill. Kunana	305 03/24	Kewal Ram Building material Suppliar	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o P/Wall near the house of Roop Chand S/o Bardu Ram Vill. Dhanwana	309 03/24	Kewal Ram Building material Suppliar	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o P/Wall near the house of Raj Kumari W/o Rajinder Vill. Kot	307 03/24	Kewal Ram Building material	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	Mgnrega	0	C/o Sampark Marg from vill. Kotalu to Shamshanghat Kotalu	306 03/24	Kewal Ram Building material Suppliar	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	Mgnrega	0	Verma	311 08/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.36
	MNREGA	0	C/o Sampark Marg from Pukhar to Arlu Nala Vill. Jullhin	308 03/24	Kewal Ram material Suppliar, hamirpur	Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
	MNREGA	0	c/o protection wall of kuldeep singh	318 10/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	8.4	1.52	12.768	80	1021.44
						Sand	5	1.62	8.1	80	648
	MNREGA	0	c/o water harvesting tank gsss kot	4 02/22	Ravinder Transport	Sand	6.75	1.62	10.935	80	874.8
						Agg.	12.75	1.52	19.38	80	1550.4
	MNREGA	0	c/o roof top water harvesting tank kamlesh kumar	317 10/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	8.5	1.52	12.92	80	1033.6
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
						stone	1.29	2.24	2.8896	80	231.168
	MNREGA	0	c/o protection wall of druva devi		Ravinder Transport	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24

27

	MNREGA	0	c/o protection wall of kamlesh kumar s/o prem chand	02 02/22	Ravinder Transport	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24
	MNREGA	0	c/o protection wall ofsandhya devi w/o pramodh singh	95 02/22	Ganpati associates jhaniara, hamirpur	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.09	1.62	8.2458	80	659.664
	MNREGA	0	c/o protection wall of Bhumi raj s/o soharu ram	05 02/22	Ravinder Transport , Chouri, sujanpur	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24
	MNREGA	0	c/o protection wall of pirthi chand s/o bhagat ram	14 02/22	Ravinder Transport , Chouri, sujanpur	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24
	MNREGA	0	sampark marg from pipal to Mandhyoh	326 12/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	28	1.52	42.56	80	3404.8
						Sand	13	1.62	21.06	80	1684.8
						stone	30	2.24	67.2	80	5376
	MNREGA	0	c/o protection wall of Jeevan kumar s/o Nathu ram	98 02/22	Ganpati associates jhaniara, hamirpur	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24
	MNREGA	0	c/o water harvesting tank sushil kumar s/o rikhi ram	06 02/22	Ravinder Transport , Chouri, sujanpur	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24
	MNREGA	0	c/o RTWHT sanjay kumar s/o hans raj	03 02/22	Ravinder Transport , Chouri, sujanpur	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24
	MNREGA	0	c/o water harvesting tank sita ram s/o maseda ram	302 08/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	5.65	1.52	8.588	80	687.04
						Sand	5.65	1.62	9.153	80	732.24

26

	MNREGA	0	c/o water harvesting tank deepak chand s/o pirthi chand	319 10/22	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	6.5	1.52	9.88	80	790.4
	MNREGA	0	c/o Moksh dham in Mahadev	337 03/23	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	70	1.52	106.4	80	8512
						Sand	40	1.62	64.8	80	5184
	MNREGA	0	c/o RTWHT of kehar singh s/o lekh ram	337 03/23	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	70	1.52	106.4	80	8512
						Sand	40	1.62	64.8	80	5184
	MNREGA	0	c/o RTWHT of kehar singh s/o lekh ram	720 01/24	Verma Computers Tauni Devi	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
	15th Finc.	15	C/o sampark marg from Vill. karah to vill. Darogan	338 07/23	Verma Computers	Agg.	26	1.52	39.52	80	3161.6
						Sand	15	1.62	24.3	80	1944
	15th Finc.	40	C/o Drain from Prakash house to Khad Vill. Karah	703 01/24	Aman Deep Sharma	Agg.	24.5	1.52	37.24	80	2779.2
						Sand	13	1.62	21.06	80	1684.8
	15th Finc.	10	C/o Sampark Marg & P/Wall Med Chand house vill. Thana	707 01/24	Aman Deep Sharma	Agg.	4.5	1.52	6.84	80	547.2
						Sand	1	1.62	1.62	80	129.6
	15th Finc.	11	C/o Sampark Marg & P/Wall Med Chand house vill. Thana	706 01/24	Aman Deep Sharma	Agg.	5.66	1.52	8.6032	80	688.256
						Sand	8.5	1.62	13.77	80	1101.6
										योग	**93867.744**
										25% पेनल्टी	**23466.936**
										कुल योग	**117334.68**

Sharma

29

Annaxure 'ङ' पैरा संख्या 9.8 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दरोगण-पती-कोट, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 03/23 और 06/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o comunity toilet near society of kot	49	476 03/23	Hardeep Marvel store kot	Tiles	15994
2	15FC	C/O Moksh daam pung khad	107	908 03/23	akshita trading company hamirpur	iron	12450
3	MNREGA	c/o water harvesting tank gsss kot	0	113 03/22	Amar building materials supplier Tauni devi	sand, aggri, stone	19500
4	MNREGA	c/o khatri desh raj s/o jagat ram	0	6821 04/23	M/S Vishwanath & son, barnala	iron	3530
	MNREGA	c/o water harvesting tank GPS kot	0	817 03/23	akshita trading company hamirpur	IRON	12250
Total							**63724**

Annaxure 'च' पैरा संख्या १.५ में संदर्भित

ग्राम पंचायत दरोगण-पती-कोट, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o comunity toilet near society of kot	49	476 03/23	Hardeep Marvel store kot	tiles	15994
2	15FC	C/O Moksh daam pung khad	107	908 03/23	akshita trading company hamirpur	iron	12450
3	MNEGA	C/O Moksh daam pung khad	0	337 03/23	verma computers hamirpur	sand, aggrigate	158000
4	MNEGA	c/o protection wall near house of kamla devi	0	333 02/23	verma computers hamirpur	sand, aggrigate	16345
5	MNEGA	c/o protection wall near house of kamla devi	0	332 02/23	verma computers hamirpur	sand, aggrigate	19928
6	MNEGA	c/o sampark marg from pipal to mandyoh	0	1614 12/22	HPSCS,CLTD	Cement	54181
7	MNEGA	c/o sampark marg from pipal to mandyoh	0	326 12/22	verma computers hamirpur	sand, aggrigate	88696
8	MNREGA	c/o water harvesting tank GPS kot	0	817 03/23	akshita trading company hamirpur	IRON	12250
Total							**377844**

Annaxure ६९· पैरा संख्या ९.ऽ में संदर्भित

ग्राम पंचायत दरोगण-पती-कोट, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	15FC	C/O Moksh daam pung khad	107	908 03/23	akshita trading company hamirpur	iron	12450
2	15FC	c/o labour for kharti near house of giano devi	13	Feb-22	master roll	labour	38200
3	MNEGA	C/O Moksh daam pung khad	0	337 03/23	verma computers hamirpur	sand, aggrigate	158000
4	MNEGA	c/o sampark marg from pipal to mandyoh	0	1614 12/22	HPSCS,CLTD	CEMENT	54181
5	MNEGA	c/o sampark marg from pipal to mandyoh	0	326 12/22	verma computers hamirpur	sand, aggrigate	88696
Total							**351527**

Sharma

32